भारत सरकार

भारी उद्योग मंत्रालय

**लोक सभा**

**अतारांकित प्रश्न सं. 3336**

**21 मार्च, 2023 को उत्तर के लिए नियत**

**"इलेक्ट्रिक वाहन विनिर्माताओं को सब्सिडी"**

**3336. श्री गुरजीत सिंह औजला:**
**श्री गौरव गोगोई:**

क्या **भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) दोपहिया विनिर्माताओं की सभी प्रकार की सब्सिडी रोक दी है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ख) क्या सरकार को भारत में हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक वाहनों को तेजी से अपनाने और विनिर्माण (फेम इंडिया-।।) योजना के पूरा होने संबंधी विलम्ब की जानकारी है; और

(ग) यदि हां, तो इस प्रक्रिया में तेजी लाने और निर्धारित लक्ष्य को समयबद्ध तरीके से पूरा करने के लिए सरकार ने क्या ठोस रणनीति का प्रस्ताव किया है?

**उत्तर**

**भारी उद्योग राज्य मंत्री**

**(श्री कृष्ण पाल गुर्जर)**

(क) : जी नहीं। भारी उद्योग मंत्रालय को सरकार की फेम इंडिया स्कीम, चरण-।। के अंतर्गत कुछ इलेक्ट्रिक वाहन विनिर्माताओं द्वारा सब्सिडी के दुरूपयोग के संबंध में शिकायतें प्राप्त हुई हैं। ये शिकायतें मुख्य रूप से फेम इंडिया स्कीम, चरण-।। के तहत चरणबद्ध विनिर्माण कार्यक्रम (पीएमपी) विषयक दिशानिर्देशों के उल्लंघन से संबंधित हैं। शिकायत संबंधी सभी मामले पुन: सत्यापन के लिए परीक्षण एजेंसियों को भेजे गये हैं। दो मूल उपकरण विनिर्माताओं के संबंध में रिपोर्टों की जांच करने के पश्चात, इन दो मूल उपकरण विनिर्माताओं के मॉडलों को फेम स्कीम से हटा दिया गया है। साथ ही, उनके लंबित दावों की प्रक्रिया को तब तक रोक दिया गया है जब तक कि वे चरणबद्ध विनिर्माण कार्यक्रम समयसीमा के प्रति उनके अनुपालन को दर्शाने के लिए पर्याप्त साक्ष्य प्रस्तुत नहीं करते हैं।

(ख) और (ग) : भारी उद्योग मंत्रालय ने दिनांक 1 अप्रैल, 2019 से पांच वर्ष की अवधि के लिए भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों का तीव्र अंगीकरण और विनिर्माण, चरण-।। (फेम इंडिया चरण-।।) नामक स्कीम तैयार की है जिसके लिए कुल बजटीय सहायता 10,000 करोड़ रुपये की है। यह चरण मुख्य रूप से सार्वजनिक और साझाकृत परिवहन के विद्युतीकरण के लिए सहायता प्रदान करने पर केंद्रित है और इसका उद्देश्य मांग प्रोत्साहन के माध्यम से 7090 ई-बसों, 5 लाख ई-तिपहियों, 55000 ई-चौपहिया यात्री कारों और 10 लाख ई-दुपहिया वाहनों के लिए सहायता प्रदान करना है। साथ ही, स्कीम के अंतर्गत चार्जिंग अवसंरचना के सृजन के लिए भी सहायता प्रदान की जाती है।

दिनांक 15.02.2023 की स्थिति के अनुसार, फेम इंडिया स्कीम, चरण-।। के अंतर्गत सहायता के लिए लक्षित वाहनों की तुलना में वास्तविक वाहन बिक्री का श्रेणी-वार ब्यौरा निम्नानुसार हैः

| **श्रेणी** | **सहायता प्रदान किए जाने वाले वाहन (संख्या)** | **वस्तुतः सहायता-प्राप्त वाहन (संख्या)** |
|---|---|---|
| ई-दुपहिया | 10,00,000 | 7,92,529 |
| ई-तिपहिया | 5,00,000 | 81,172 |
| ई-चौपहिया | 55,000 | 6,831 |
| ई-बसें | 7,090 | 2,435 |
| **कुल** | **15,62,090** | **8,82,967** |

मंत्रालय ने 25 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के 68 शहरों के लिए 2,877 इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशनों की संस्वीकृति दी है। साथ ही, फेम इंडिया स्कीम, चरण-II के अंतर्गत 9 एक्सप्रेसवे और 16 राजमार्गों पर 1576 चार्जिंग स्टेशनों को भी स्वीकृति दी गई है।

*********